तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में

18/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/12/24

11.2.25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16.4.25 को पेश हो।

16/04/2025

Gcms – 2022/371

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 16.05.2022 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थीगण अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी की खातेदारी भूमि से किसी प्रकार से छेड़छाड़ न करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पत्थरगढी की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावी व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान दिनांकित 16.05.2022 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण सीमाज्ञान दिनांकित 16.05.2022 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.05.09 13:27:46
Reason: SelfAttested

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम बर्सिंगवास पटवार हल्का आगवाडी तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 162, 163, 163/441 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2800 है0 में प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 16.05.2022 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल. आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2025.05.09 13:27:46 IST Reason: SelfAttested	